306

(414)

न्यायालय श्री मा० राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र०

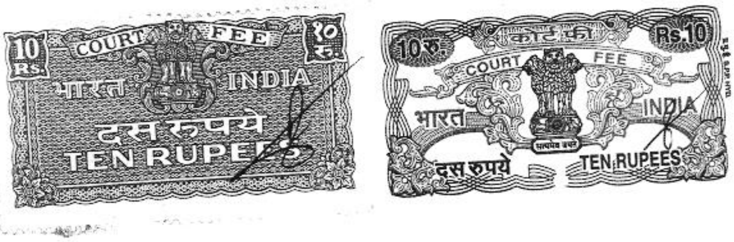

केदार प्रसाद मिश्र तनय श्री कौशल प्रसाद मिश्र निवासी ग्राम शिवपुरवा 601 तहसील गुढ़ जिला रीवा म.प्र. ------ आवेदक/ निगरानीकर्ता

व नाम

1रामाधार पटेल तनय स्व. बल्देव पटेल निवासी ग्राम शिवपुरवा 601 तहसील गुढ़, जिला रीवा म.प्र.

R-1176-II/12

2:- शासन म.प्र.

-- अनावेदक/गैर निगरानीकर्तागण

अधिवक्ता श्री ... मिश्रा द्वारा प्रस्तुत। रीवा, दिनांक 18.4.2012

18/4/12

निगरानी विरूद्ध तहसीलदार तहसील गुढ़, जिला रीवा के द्वारा प्र.क्र. 16अ12/10-2011 से पारित आदेश दिनाँक- 6.9.2011.

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता सन् 1959 ईसवी.

क 30-4-12

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न लिखितहैं:-

1:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीमांकन पुष्टि करण आदेश विधि व प्रक्रिया केविपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2:- यहकि निगरानी कर्ता के स्वत्व आधिपत्य की भूमि क्र. 422 एवं गैर निगरानी कर्ता क्र. 1 एवं अन्य की भूमि क्र. 423 दोनो आपसछेमे लगी हुई भूमियाँ है। किन्तु सीमांकन को कोई जानकारी निगरानी कर्ता को नही दी गई। और ना ही मौके पर कोई सीमांकन किया गया। किन्तु फिर

केदारप्रसाद मिश्र

क्रमशः 2

(306)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग01176– **II** / 2012 जिला–रीवा

केदार प्रसाद मिश्रा / रामाधार पटेल

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक 16 / अ–12 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 06.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरूद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गुढ़, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	